श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110016

क्रमांक. एफ 21(01)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021–22/1116 दिनांक 22.12.2023

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दक्षिण दिल्ली–03 की छमाही बैठक का आयोजन 23 जून, 2023 को अपराह्न 3:00 बजे नराकास अध्यक्ष कार्यालय भारतीय जन संचार संस्थान में किया गया। यह बैठक नराकास अध्यक्ष डॉ. अनुपमा भटनागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा–3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज़ों को मौलिक रूप से हिंदी में लिखने का प्रयास किया जाए।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा–5, के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिये जाने का प्रयास किया जाए।
3. 'क' और 'ख' क्षेत्र में शत–प्रतिशत तथा 'ग' क्षेत्र से 65 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिंदी में करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।
4. 'क' और 'ख' क्षेत्र में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर शत–प्रतिशत हिंदी में दिया जाए।
5. प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को शत–प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाए।
6. फाइलों पर 75 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।
7. प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
8. प्रशासनिक बैठकों के दौरान वार्तालाप हिंदी में किया जाए।
9. सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुचारु रूप से करें। यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।)

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकगण
2. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण
3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त अध्यापकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
4. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव
5. संबंधित पंजिका।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन–।)